न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/178/2017	16–11–2017	24–05–2018

01– किशोर पुत्र श्री कजोडी जाति मेघवाल (अनुसूचित जाति) निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज0

अपीलाण्टान

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक 29.08.2016 अन्तर्गत धारा 90–ए भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 68/2015

उपस्थितः–

01–श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 29.08.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रामगढ़ की आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.68 है0 में से 20X10 वर्गफुट पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रामगढ़ की आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.68 है0 में से 20X10 वर्गफुट पर अवैध कब्जा मानते हुए अपीलान्ट को अन्तर्गत धारा 90–ए के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 29.08.2016 को बेदखल कर आदेश पारित किया है जिससे अपीलान्ट गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 01.11.2017 को हुई बिना देरी के 15.11.2017 को आवश्यक दस्तावेज की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधीनियम के साथ पेश किया गया अपीलान्ट को पैनल्टी व लगान से दण्डित किया गया है। वास्तविकता में खसरा नम्बर 681/1 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त सम्मत 2020 खसरा नम्बर 830 रक़बा 5 बीघा 10 बिस्वा, 833 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, 834 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, 829 रकबा 2 बिस्वा कायम हुए जिसके हाल बन्दोबस्त सम्मत 2058 में नये नम्बर खसरा नम्बर 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 व 1120 कायम हुआ जिस आराजी का अपीलान्ट के बुजुर्ग जीवा को सम्मत 2003 में पट्टा दिया गया था उनके देहान्त के बाद उनके पुत्र ताराचन्द, भूरजी, किरोड़ी व धन्ना काबिज होकर काश्त करते रहे। इनके भी देहान्त के पश्चात् मिन अपीलान्टान मृतक किरोडी के वारिसान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मिन अपीलान्टान द्वारा पशुओं को बांधने व कृषि उपज रखने के लिए झोपडी बनाई हुई है जिस झोपडी को सुरक्षा की दृष्टि से पट्टा बना लिया हैं जिसे व्यावसायिक दुकान मानकर गलत आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.08.2016 निरस्त फरमाया जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 16.11.2017 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 17 माह विलम्ब से पेश की गई है। फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पूर्वजो की आराजी है मौके पर अपीलान्ट द्वारा पशुओ के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पक्की झोपडी बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय आदेश में अपीलान्ट से सम्परिर्वतन आदेश बाबत कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

जानकारी नही की गई ना ही विवादित आराजी को कबजेराज लेने की कोई कार्यवाही नियमानुसार की गई तथा सुनवाई का मौका दिये बगैर निर्णय पारित कर दिया गया जो उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रामगढ का आदेश दिनांक 29.08.2016 निरस्त किया जाकर तथा प्रकरण तहसीदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की अपीलान्ट की सुनवाई को विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)